वित्तीय स्वीकृति

संख्या-3/1928/52-3-13-सा(7)/2008

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 05 दिसम्बर,2013

विषयः-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिये आई0ए0□□0/□□0□□0□□0 कोचिंग संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति। (आयोजना□□)

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1090/52-3-2011-□□(7)/2008 दिनांक 15 अप्रैल, 2011 तथा पत्र सं0-1666/52-3-13- □□(7)/08, दिनांक 23-8-2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिये आई0ए0□□0/□□0□□0एस कोचिंग संस्थान की स्थापना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 150 छात्र/छात्राओं के लिये संस्थान भवन की स्थापना के साथ 50 शैय्या वाले लड़कों के छात्रावास तथा 25 शैय्या वाले लडकियों के छात्रावास एवं तत्संबंधी अन्य निर्माण कार्यों के लिये अनुमोदित आगणन रू0 4,35,29,000/- (रूपये चार करोड़ पैंतीस लाख उन्तीस हजार) के□ सापेक्ष उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15-4-2011 के अनुसार ₹0 2,37,56,000/- तथा शासनादेश दिनांक 23-8-2012 के अनुसार रू0 1,62,44,000/- अर्थात कुल रू0 4,00,00,000/- (रू0 चार करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □□-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1,85,29,000/-(रूपये एक करोड़ पच्चासी लाख उन्नतीस हजार मात्र) के सापेक्ष निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि रू0 35,29,000/-(रू0 पैतीस लाख उन्नतीस हजार मात्र) स्वीकृत कर निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाक घर आदि में नहीं रखी जायेगी।

3- निर्माण कार्य हेतु कार्यावधि निश्चित करके निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य को पूर्ण कराया जायेगा। ताकि निर्माण कार्य की दरें पुनरीक्षित होने से पूर्व कार्य अनुमोदित लागत के अन्दर पूर्ण हो सके तथा कोचिंग का संचालन शीघ्र आरम्भ किया जा सकें।

http://shrasamadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 31-3-2013 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-48 □□ लेखाषीर्षक-4202-शिक्षा, □□□□, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-04-अखिल भारतीय प्रशासनिक /प्रादेशिक सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक छात्रों के लिये कोचिंग संस्थान-24-वृहत निमार्ण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई0-11-1513 /□□-13, दिनांक 05 दिसम्बर,2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(□य प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□

संख्या-1928(1)/52-3-13) तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□ □□□□-3 □□□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□य प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in